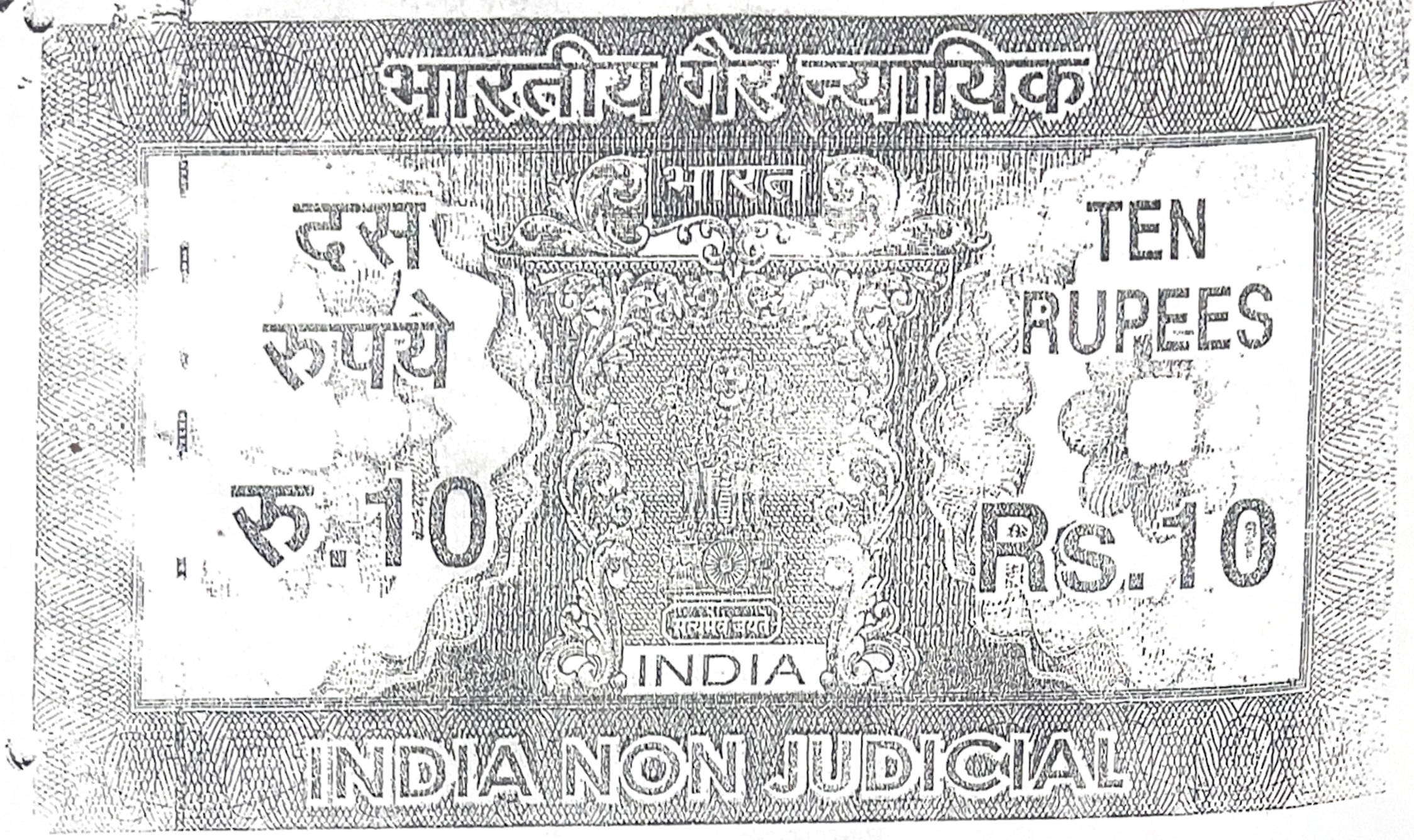

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AB 187966

ट्रस्ट डीड

असल स्टाम्प - 800/-

दिनांक - 22-10-11

बही नं० IV के खण्ड 4 के पृष्ठ 45/68 में नं० 9 पर अंकित की गयी। मूल प्रति की सत्यप्रति के साथ दस रुपये का स्टाम्प संलग्न है।

M 417342

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन–800/–रूपये

मैं कमलाकर मिश्र पुत्र स्व0 श्री शिव प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम कटरा लालगंज, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर का हूं जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अर्न्तगत बतौर न्यासीगण रखेगें। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के

Rs. 100
ONE
HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
AU 731722
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः

व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **निर्मला इन्सटीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (Nirmala Institute of Education and Welfare Trust)** गौरीगंज।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय गौरीगंज जिला–सी0एस0एम0 नगर उत्तर प्रदेश होगा व शाखा कार्यालय के सम्बंध में ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति, को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेगें।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 731723

तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगण के समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व विभागों से करने क पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्य–</u>

(1) मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना व संचालन करना।

(3) कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
₹ 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AU 731724

(4) बेजोरगार, जरूरतमंद व बेसहारा स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(5) लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

(6) स्कूल, कॉलेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रशिक्षण तथ प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतु कॉलेजों की स्थापना करना व संचालन करना।

(7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

(8) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(10) सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना।

(11) धर्मशाला, आश्रम, क्रेश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योगा केन्द्र तथा सभी के लिए धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

(12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलागों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

(13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था क बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

(14) समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लि प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

(15) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गंभीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

(16) गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियां देना।

(17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना।

(18) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एंव स्थापना करना।

(19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेंड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(20) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(21) स्कूल व कॉलेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हे क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

(23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

(25) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

(26) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशॉप आयोजित करना।

<u>कार्य क्षेत्र–</u>

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण 'भारत' होगा।

<u>ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति–</u>

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

11. यह कि कमलाकर मिश्र पुत्र स्व0 श्री शिव प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम कटरा लालगंज, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व आलोक कुमार मिश्र पुत्र कमलाकर मिश्र निवासी ग्राम कटरा लालगंज, गौरीगंज, सी0एस0एम0 नगर उक्त उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम

सचिव होगे। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एंव अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेगें।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करेगें। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों मे से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि काई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेगें।

12. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें:–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कारकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों के समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचंल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान

कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

13. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेगें। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

14. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिकव पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होगें तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

15. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने क तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण के प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान परे जहां ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं

सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्व स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

20. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे। और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

21. यह कि सभी सम्बंधित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर उनके द्वारा जानबूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होगें।

22. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैकिंग एकाउन्टस–खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा।

23. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होगें और यह सिलसिला [illegible] भी ऐसे ही चलता रहेगा।

24. यह कि ट्रस्टीगण को [illegible] के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिका चिट्ठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर [illegible] ट्रस्टी सदस्य के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसभी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियो पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा तथा [illegible] नियुक्त ट्रस्टी को एतदद्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं [illegible] होगा।

27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा

[signature]

बिना शर्त विकय करना , कय करना किसी भी विकय अथवा पुनः विकय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होगें।

28. यह कि ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत की जायेगी।

29. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

मुकिर कमलाकर मिश्र के दोनो हाथ की उंगलियों के निशानात

रजिस्ट्रेशन अधि. 1908 की धारा-32ए. के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता .... कमलाकान्त

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

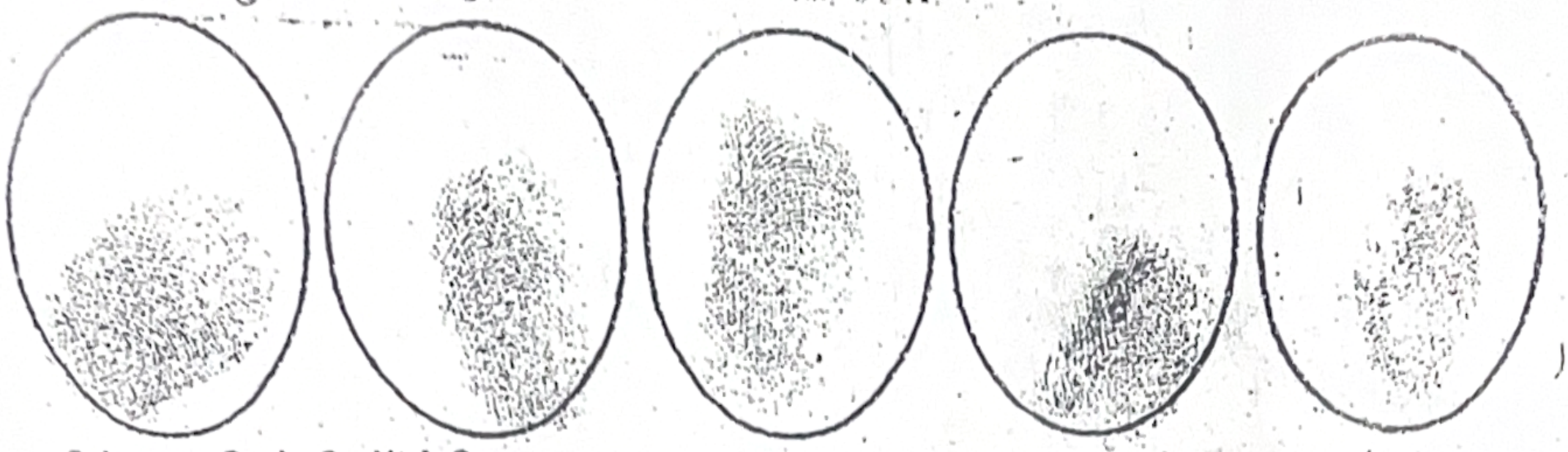

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता ....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

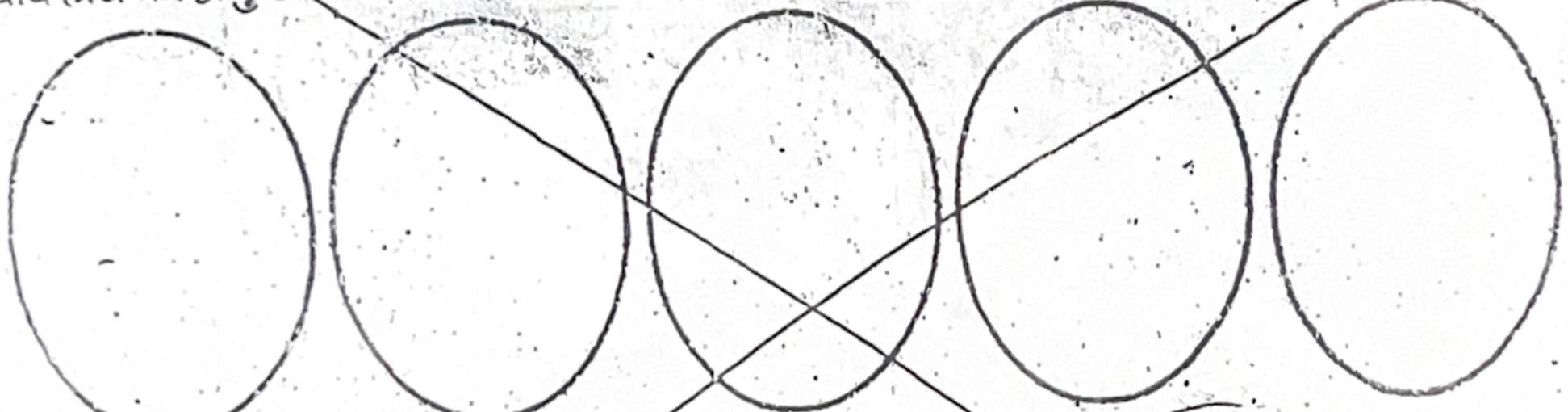

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

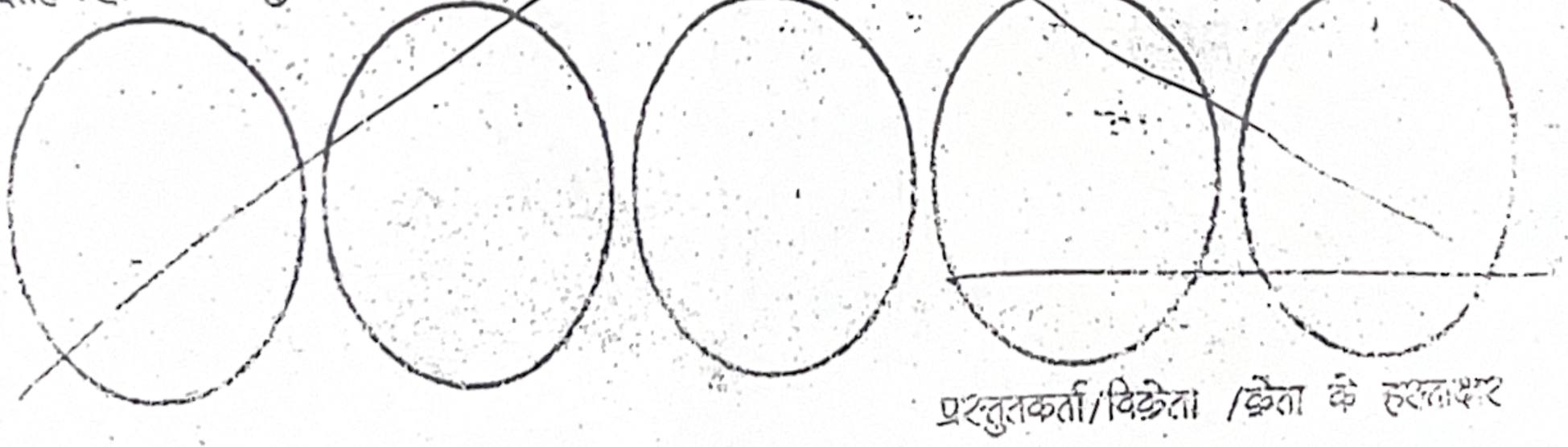

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर : राजकुमार 2. विपिनकुमार

लेखक के हस्ताक्षर : ________